(4)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **17/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामजस टांक पुत्र रामचन्द्र टांक निवासी श्रीनाथ कृषि केन्द्र नीलकंठ चौराहा, माण्डल जिला भीलवाडा —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थितं नही
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 04-08-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 28.02.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 47 एफ 045143 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2020 को पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल के पत्रांक/922 दिनांक 09.07.2020 से रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई। जिसमें अंकित किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु सं. 2,3,6,7,8,9 व 10 से संबंधित सूचना तहसीलदार माण्डल एवं बिन्दू सं. 04 की सूचना संबंधित बैंक से संबंधित होने से एंव अवशेष सूचना उपखण्ड कार्यालय माण्डल से भिजाते हुये, अपीलार्थी को पत्रांक/922 दिनांक 09.07.2020 से पत्र जारी किया गया।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)